संख्या-80/2015/381/22-4-15-48(24)/12

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-25 मार्च, 2015

विषय- जिला कारागार, मैनपुरी में 88 नग दिन शौचालय, बाथिंग प्लेटफार्म, 18 नग सेप्टिक टैंक, 18 सोकपिट, 01 नग शैलो ट्यूबवेल, 400 मी0 नाली, दिन शौचालय हेतु 04 नग वाटर टैंक एवं 05 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2439/नम-1/207, दिनांक- 28.01.2015 व पत्र संख्या-8932/नम-1/207, दिनांक 18.03.2015 के क्रम में एवं शासनादेश संख्या-1432/22-4-12-48(24)/12, दिनांक 02.12.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मैनपुरी में 88 नग दिन शौचालय, बाथिंग प्लेटफार्म, 18 नग सेप्टिक टैंक, 18 सोकपिट, 01 नग शैलो ट्यूबवेल, 400 मी0 नाली, दिन शौचालय हेतु 04 नग वाटर टैंक एवं 05 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प के निर्माण हेतु मूल स्वीकृत लागत रू0 53.58 लाख के सापेक्ष रू0 21.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन को व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 92.68 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया है।

2- अत- सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, मैनपुरी में 88 नग दिन शौचालय, बाथिंग प्लेटफार्म, 18 नग सेप्टिक टैंक, 18 सोकपिट, 01 नग शैलो ट्यूबवेल, 400 मी0 नाली, दिन शौचालय हेतु 04 नग वाटर टैंक एवं 05 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प के निर्माण हेतु रू0 92,68,000/- (रूपया बानवे लाख अरसठ हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 32,15,000/-(रूपया बत्तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) पुनरीक्षित आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एव कार्य प्राविधानों को मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है, जिसमें केाई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य येाजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुण्वत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी, वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) स्वीकृति धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक अवश्य कर लिया जाय तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति समयबद्व रूप से शासन को भी उपलब्ध कराई जाय।

(10) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

3- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 02.12.2013 में उल्लिखित शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

4- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन के मूल्यांकन से सम्बन्धित उद्वरण की छायाप्रति संलग्न है।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014--यक के अनुदान संख्याव्य-के आय 15 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-यलोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्व -80-सामान्य-051--निर्माण04-ता में सुधारच्छकारागारों में जलापूर्ति एवं स्व-24र्गत के अन्त "वृहत् निर्माण कार्य-मद के नामे डाला जा/ लेखाशीर्षकप्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्तयेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457-दस/2014-231/2014 दिनांक , 22.07. में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं। 2014

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-80/2015/381(1)/22-4-15-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, मैनपुरी।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in